

[2025] 2 एस. सी. आर 544:2025 आई. एन. एस. सी. 210

भारत संघ सहायक निदेशक के माध्यम से

बनाम

कन्हैया प्रसाद

(2025 की आपराधिक अपील संख्या 728)

13 फरवरी 2025

[बेला एम. त्रिवेदी और प्रसन्ना बी. वराले, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना प्रतिवादी को जमानत देने के आदेश की यथार्थता के संबंध में मुद्दा उठा।

हेडनोट्स[†]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 - धरा 45, 50 - पी. एम. एल. ए. के तहत अपराध करना - जमानत देना - जमानत के लिए दो शर्तें धारा अंतर्गत 45 - प्रतिवादी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिता-सिंडिकेट सदस्य द्वारा अवैध रेत बिक्री के माध्यम से अर्जित अपराध की आय को लेयरिंग और धनशोधन किया, जिसमें हवाला नेटवर्क का उपयोग किया गया था और अपराध की आय को छुपाया और उक्त आय का उपयोग किया - अपीलार्थी- भारत संघ द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ अपराधों के लिए दायर शिकायत धारा अंतर्गत 3/4 पीएमएलए - पीएमएलए अदालत ने कथित अपराध का संज्ञान लिया - प्रतिवादी द्वारा जमानत आवेदन - उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत - यथार्थता:

निर्णीत: उच्च न्यायालय ने बहुत ही अनौपचारिक और बेपरवाह तरीके से, धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना, प्रतिवादी को पूरी तरह से बाहर और अप्रासंगिक

विचारों पर जमानत दे दी - ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिला कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि प्रतिवादी अधिनियम के तहत कथित अपराध का दोषी नहीं था और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी - धारा 45 की अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने से आक्षेपित आदेश कानून की नजर में अस्थिर और असमर्थनीय हो गया - संविधान की धारा 20(3) धारा 50(2) के तहत जारी समन के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में लागू नहीं होगी। इसके अलावा, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी को विधेय अपराध में अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया है। केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई थी और अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया था, वह अपने आप में प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने का आधार या विचार नहीं होगा, जब धारा 45 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है। धन शोधन का अपराध दुनिया भर में अपराध का एक गंभीर रूप है और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल अपराधियों को सामान्य अपराधियों से अलग वर्ग के रूप में माना जाता है। धन शोधन के अपराध में शामिल अपराधी की जमानत याचिका पर विचार करते समय अदालतों द्वारा कोई भी लापरवाही या सरकारी दृष्टिकोण और अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना गुप्त आदेश पारित करके उसे जमानत देना अपराध और धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना, सही नहीं ठहराया जा सकता है - धारा 45 की अवहेलना करने वाला आक्षेपित आदेश अस्थिर और असमर्थनीय है, और इस तरह से रद्द किया जाता है - मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा गया - धारा 3, 4

[पैरा 12, 13, 17-22]

भरोसा किया गया

विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत और अन्य [2022] 6 एससीआर 382:2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन 929 - पर भरोसा।

गौतम कुंड़ बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2015] 15 एस.सी.आर 499:(2015) 16 एस.सी.सी. 1; रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय [2017] 13 एस.सी.आर 156: (2018) 11 एस.सी.सी. 46; तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय [2023] 14 एस.सी.आर 813:(2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन 1486-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860; बिहार खनिज, (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019; धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002।

मुख्य शब्दों की सूची

धन शोधन; जमानत; जमानत की दोहरी शर्तें; जमानत आवेदन; अनुसूचित अपराध; अपराध से प्राप्त आय; अपराध की आय को छिपाना; प्रवर्तन निदेशालय; अपराध का गंभीर रूप; सिंडिकेट सदस्य; हवाला नेटवर्क का उपयोग करके रेत की अवैध बिक्री में शामिल सिंडिकेट सदस्य; पी.एम.एल.ए की धारा 45 की अनिवार्य आवश्यकता; विधेय अपराध; रिमांड।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2025 की आपराधिक अपील संख्या 728
2024 के आपराधिक विविध मामला संख्या 17738 में पटना में उच्च न्यायालय के दिनांक 06.05.2024 के न्यायिक निर्णय और आदेश से

पक्षकारों के लिए उपस्थिति

सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., जोहेब हुसैन, अन्नम वेंकटेश, अरविंद कुमार शर्मा, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, मोहित अग्रवाल, मेसर्स सा चैम्बर्स, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. अपीलकर्ता-भारत संघ ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या 17738/2024 में पारित दिनांक 06.05.2024 के आक्षेपित निर्णय और आदेश की वैधता को चुनौती दी है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादी कन्हैया प्रसाद को ईसीआईआर संख्या पीटीजेडओ/14/2023 से उत्पन्न विशेष परीक्षण (पीएमएलए) केस संख्या 8/2023 के संबंध में जमानत पर रिहा कर दिया था।
3. अपीलकर्ता-ईडी के मामले के अनुसार, पटना, सारण और भोजपुर जिलों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आईपीसी की धारा 38, 120 बी, 378, 379, 406, 409, 411, 420, 467, 468 और 471 के तहत और बिहार खनिज, (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2019 की धारा 39 (3) के तहत लगभग 20 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक खनन प्राधिकरण बिहार द्वारा जारी विभागीय प्रीपेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध खनन और बालू की बिक्री में लगे हुए थे और इस प्रकार सरकारी खजाने को

161,15,61,164/- रुपये का राजस्व नुकसान हुआ था। चूंकि उक्त एफआईआर में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (जिसे आगे पीएमएलए कहा जाएगा) की धारा 2(1)(वाई) के तहत परिभाषित अनुसूचित अपराध शामिल थे, इसलिए ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/पीटीजेडओ/14/2023 दिनांकित 15.03.2023, परिशिष्ट ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/पीटीजेडओ/14/2023 दिनांकित 08.11.2023 और दिनांकित 04.05.2024 पंजीकृत की गई और धन शोधन के अपराधों की जांच शुरू की गई।

4. जाँच के दौरान और उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उक्त कंपनी और उसके निदेशकों से संबंधित विभिन्न स्थानों और परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें राधा चरण साह (प्रतिवादी के पिता) के चार परिसर शामिल थे। पूछताछ के दौरान, प्रतिवादी-कन्हैया प्रसाद जो उक्त राधा चरण साह के पुत्र हैं, के बयान पीएमएलए की धारा 50 के तहत 01.09.2023 और 04.09.2023 को दर्ज किए गए। अपीलार्थी-ईडी द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इसके बाद प्रतिवादी को 11.09.2023, 12.09.2023 और 13.09.2023 पर निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया था, हालांकि, वह उक्त तिथियों पर उपस्थित होने में विफल रहा। इसके बाद प्रतिवादी को ईडी, पटना क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार में 18.09.2023 को गिरफ्तार किया गया। संबंधित अदालत के समक्ष प्रतिवादी को पेश करने पर, उसकी हिरासत 22.09.2023 को अपीलार्थी-ईडी को सौंप दी गई।
5. राधा चरण साह के परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों और गवाहों की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए बयानों, प्रतिवादी और उसके पिता के बयानों से यह पाया गया कि प्रतिवादी-आरोपी वास्तव में अपराध की आय को छिपाने और उस पर कब्जा करने की प्रक्रिया में शामिल था, जिसकी राशि 17,26,85,809 रुपये थी, जिसका

उपयोग मनाली में रिसॉर्ट में नवीनीकरण कार्य और उसके ट्रस्ट के स्वामित्व वाले स्कूल के निर्माण कार्य के लिए किया गया था। यह भी पाया गया कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने अपराध की उक्त आय को संभाला था और मनाली में रिसॉर्ट के अधिग्रहण के लिए हवाला नेटवर्क का उपयोग करके इसे स्थानांतरित कर दिया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि परिवार के स्वामित्व वाली एलएलपी और मां शारदा देवी बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन का पूरा काम प्रतिवादी द्वारा अपने पिता द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को बेदाग धन के रूप में चित्रित करने के लिए किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी ने हवाला नेटवर्क का उपयोग करके रेत की अवैध बिक्री में शामिल एक सिंडिकेट सदस्य होने के नाते अपने पिता द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को कथित रूप से लेयरिंग और धनशोधन किया था। प्रतिवादी ने कथित रूप से अपराध की आय का उपयोग करके संपत्ति खरीदकर, परिवार के स्वामित्व वाली ट्रस्ट संपत्ति में नवीनीकरण कार्य और निर्माण करके अपराध की आय को छुपाया था।

6. इसलिए अपीलार्थी-ईडी ने पी. एम. एल. ए. की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 10.11.2023 पर अभियोजन शिकायत दायर की। प्रतिवादी-अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका का उल्लेख उक्त अभियोजन शिकायत के पैराग्राफ 11.6 में किया गया है। संबंधित पीएमएलए अदालत ने 10.11.2023 पर कथित अपराधों का संज्ञान लिया था।
7. प्रतिवादी ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन आपराधिक विविध संख्या 17738/2024 दायर किया, जिसमें विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए के समक्ष विशेष परीक्षण (पीएमएलए मामला संख्या 8/2023) के रूप में पंजीकृत अभियोजन शिकायत के संबंध में नियमित जमानत की मांग की गई। उक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई है।

8. अपीलकर्ता- ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्ति यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और इस न्यायालय द्वारा इस प्रावधान के अनिवार्य आवश्यकता के संबंध में दिए गए विभिन्न निर्णयों के विपरीत है। उनके अनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्णयों के अनुपात की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है और गलत तरीके से पढ़ा है विशेष रूप से **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**¹ में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 20 (3) के प्रावधान पीएमएलए की धारा 50 पर प्रबल होंगे। श्री जोहेब हुसैन ने अभियोजन शिकायत और अभिलेख पर अन्य सामग्री पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था, और पीएमएलए के तहत अपराध बहुत गंभीर और संगीन होने के कारण, उच्च न्यायालय ने धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना प्रतिवादी को जमानत देने में त्रुटियां की थी।
9. तथापि, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि प्रतिवादी के खिलाफ मामला अपीलार्थी द्वारा पी. एम. एल. ए. की धारा 50 के तहत दर्ज अस्वीकार्य बयानों के आधार पर बनाया गया था, और यह कि प्रतिवादी को पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर विचार करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क किया कि प्रतिवादी ने जांच के दौरान ईडी के साथ सहयोग किया था, क्योंकि प्रतिवादी 01.09.2023 और 04.09.2023 को पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन के अनुसार उपस्थित रहा था और उसने अधिकारियों द्वारा कथित रूप से देय पाए गए संपूर्ण आयकर बकाया का भुगतान भी किया था।

10. शुरुआत में, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पीएमएलए का उद्देश्य धन शोधन को रोकना है जिसने न केवल देश की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि इसकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध है जो एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इच्छा और अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, जो राष्ट्र और समग्र रूप से समाज के हित की अवहेलना करता है, और इस तरह के अपराध को किसी भी तरह की कल्पना से तुच्छ प्रकृति का अपराध नहीं माना जा सकता है। धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए अधिनियम में कड़े प्रावधान किए गए हैं।
11. चूंकि, पूरा विवाद पीएमएलए की धारा 45 के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए उक्त प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा:

“धारा 45- संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, -

क. इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

ख. अनुसूची के भाग क के तहत तीन साल से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत संतुष्ट होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे

अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

परन्तु कि कोई व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से कम आयु का है, या महिला है, या बीमार या अशक्त है, या जिस पर अकेले या अन्य सह-अभियुक्तों के साथ एक करोड़ रुपये से कम की धनराशि के धन शोधन का आरोप है, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है।

परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक कि निम्नलिखित द्वारा लिखित रूप में शिकायत न की गई हो-

- (i) निदेशक; या
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।

(1 क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत सीमाओं के अतिरिक्त है।

12. यह विधि का एक स्थापित सिद्धांत है कि पी. एम. एल. ए. की धारा 45, जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, दंड प्रक्रिया संहिता के सामान्य प्रावधानों के बीच संघर्ष के मामले में एक प्रबल प्रभाव डालती है। धारा 45 अनुसूची के भाग ए के तहत 3 साल से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत देने के लिए दो शर्तें लगाती है। दो शर्तें हैं कि (i) अभियोजक को जमानत के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और (ii) न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहने के दौरान किसी अपराध में शामिल होने की संभावना नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वीकृत है कि ये दोनों शर्तें अनिवार्य प्रकृति की हैं और आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने से पहले उनका पालन करने की आवश्यकता है।
13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पीएमएलए की धारा 65 के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक वे पीएमएलए के प्रावधानों से असंगत न हों और धारा 71 में यह प्रावधान है कि पीएमएलए के प्रावधानों का तब भी प्रभाव होगा जब तक कि वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में इसके साथ असंगत कुछ भी न हो। इसलिए धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी पालन करना होगा। इसके अलावा, धारा 24 में यह प्रावधान है कि धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण या न्यायालय, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, यह मान लेगा कि अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। इसलिए, यह साबित करने का भार कि अपराध की आय मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है।

14. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में कानून की उपरोक्त स्थिति को बार-बार दोहराया गया है। कुछ निर्णयों का उल्लेख करने के लिए **गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय²**, **रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय³**, **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय आदि⁴** हैं।
15. **विजय मदनलाल** (उपरोक्त) के मामले में, जिसमें धारा 45 सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने की मांग की गई थी, यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है:

"387.....2018 के संशोधन के बाद का प्रावधान, धन शोधन के अपराध के संबंध में तब तक जमानत की प्रकृति में नहीं है जब तक कि दो शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। दोहरी शर्तें यह हैं कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि आरोपी धन शोधन के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। 2002 के अधिनियम के रूप में कानून के उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और जिस पृष्ठभूमि में इसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के प्रति की गई प्रतिबद्धता और उनकी सिफारिशों के कारण अधिनियमित किया गया था, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह देशों की संप्रभुता और अखंडता सहित वित्तीय प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डालने वाली धन शोधन गतिविधियों के विषय से निपटने के लिए एक विशेष कानून है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है। इस तरह के गंभीर अपराध से निपटने के लिए, 2002 के अधिनियम में धन शोधन की रोकथाम और धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े उपायों का प्रावधान किया गया है, जिसमें अपराध की आय को कुर्क करना और जब्त करना और अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव रखने वाली मनी लॉन्ड्रिंग

गतिविधियों के प्रभाव की गंभीरता को देखते हुए, रोकथाम और विनियमन के लिए एक विशेष प्रक्रियात्मक कानून बनाया गया है, जिसमें शामिल व्यक्ति पर मुकदमा चलाना भी शामिल है, जिसमें अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल अपराधियों को सामान्य अपराधियों से एक अलग वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को "दुनिया भर में" अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है। इसलिए, यह अपराध का एक अलग वर्ग है जिसमें धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए प्रभावी और कड़े उपायों की आवश्यकता होती है।

388 से 411.....

412. नतीजतन, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि कार्यवाही की प्रकृति, चाहे वह 1973 की संहिता की धारा 438 के तहत हो या उस मामले के लिए, संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करके, 2002 के अधिनियम की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और 2002 के अधिनियम के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए बिना किसी अपवाद के गणना की जानी चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 45 में उल्लिखित दो शर्तों पर विचार करना अनिवार्य है, और जमानत आवेदन पर विचार करते समय, पी. एम. एल. ए. के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए अदालत द्वारा धारा 45 की उक्त कठोरताओं को गिना जाना चाहिए।
17. जहाँ तक वर्तमान मामले के तथ्यों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना बहुत ही लापरवाह और बेपरवाह तरीके से प्रतिवादी को

बिल्कुल बाहरी और अप्रासंगिक विचारों पर जमानत दे दी। आक्षेपित आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि यह मानने के लिए उचित आधार थे कि प्रतिवादी अधिनियम के तहत कथित अपराध का दोषी नहीं था और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी। धारा 45 की अनिवार्य आवश्यकता के गैर-अनुपालन ने, इसके बावजूद, आक्षेपित आदेश को अस्थिर और कानून की नजर में असमर्थनीय बना दिया है।

18. यद्यपि विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार द्वारा की ओर से यह निवेदन करने का प्रयास किया गया कि अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 50 के तहत दर्ज प्रतिवादी के बयानों पर भरोसा किया था जो साक्ष्य में अस्वीकार्य थे, उक्त निवेदन को **विजय मदनलाल** (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा तय की गई कानून की स्थिति को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें यह अन्य बातों के साथ-साथ अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 50 (2) के तहत तलब किया गया व्यक्ति प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत एजेंटों के माध्यम से उपस्थित होने और किसी भी विषय पर सच्चाई बताने जिसके बारे में उसकी जांच की जा रही है या उससे बयान देने की उम्मीद की जाती है तथा धारा 50 की उपधारा (3) के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। यह भी कहा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 20 (3) धारा 50 की उप-धारा (2) के तहत जारी किए गए ऐसे समन के अनुसार बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 20 (3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है और "गवाह के रूप में उपस्थित होना" नहीं है। यह इस प्रकार है कि एक अभियुक्त को दिया गया संरक्षण जहां तक "गवाह होना" वाक्यांश से संबंधित है, अदालत कक्ष में गवाही की मजबूरी के संबंध में है, और यह उससे पहले प्राप्त जबरन गवाही तक भी विस्तारित हो सकता है। इसलिए यह उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ अपराध करने से

संबंधित औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अभियोजन हो सकता है।

19. हम प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार द्वारा की गई दलील में भी कोई सार नहीं पाते हैं कि प्रतिवादी को विधेय अपराध में अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया है। यह अब "अस्पर्शित विषय" विषय नहीं है कि धनशोधन का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है, जो अपराध से प्राप्त या प्राप्त की गई अपराध की आय से संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि से जुड़ा है, जिसे अनुसूचीबद्ध अपराध से संबंधित या उस अपराध के परिणामस्वरूप किया गया है। इसलिए, अपराध की आय से जुड़ी ऐसी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना धन शोधन का अपराध होगा। इस अपराध का अन्यथा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है, सिवाय उस अपराध के परिणाम स्वरूप प्राप्त या प्राप्त अपराध की आय के। इस संबंध में **विजय मदनलाल** (ऊपर) में की गई टिप्पणियों को यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

“270. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि केवल आपराधिक गतिविधि (एक अनुसूचित अपराध) के परिणामस्वरूप संपत्ति प्राप्त होने या हासिल होने के बाद ही की जा सकती है। अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होना या सहायता करना या पक्षकार होना मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा और किसी तथ्य की स्थिति में ऐसी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर अपराध हो सकता है, चाहे अनुसूचित अपराध की तारीख और समय कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में, आपराधिक गतिविधि 2002 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए अनुसूचित अपराध के रूप में अधिसूचित किए जाने से पहले की जा सकती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपराध की आय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निपटने में

लिस है या शामिल है, तो ऐसी आपराधिक गतिविधि से प्राप्त या हासिल, इसे अनुसूचित अपराध के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद भी, 2002 के अधिनियम के तहत धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है-अपराध की आय (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) को बनाए रखने या छिपाने के लिए या इसका कब्जा बनाए रखने के लिए या पूरी तरह से समाप्त होने तक उपयोग में लाने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उस तारीख पर निर्भर नहीं है या उससे जुड़ा नहीं है जिस दिन अनुसूचित अपराध किया गया है, या यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो विधेय अपराध किया गया है। प्रासंगिक तिथि वह तिथि है जिस पर व्यक्ति अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होता है। ये तत्व मूल प्रावधान में अंतर्निहित हैं (धारा 3, जैसा कि 2013 तक संशोधित किया गया था और 31-7-2019 तक लागू था); और इसे केवल वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाया और स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार समझा जाता है कि 2019 में अंतःस्थापित स्पष्टीकरण में खंड (ii) को शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह धारा 3 के दायरे को बिल्कुल भी नहीं बदलता है या विस्तारित नहीं करता है।

271 से 405.....

406. यह आग्रह किया गया था कि किसी मामले में अनुसूचित अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध हो सकता है और फिर भी 2002 अधिनियम की धारा 45 की कठोरता के परिणामस्वरूप ऐसे अभियुक्त को भी जमानत से इनकार कर दिया जाएगा। यह तर्क 2002 अधिनियम की योजना की स्पष्ट गलतफहमी पर आधारित है। जैसा कि हमने इस निर्णय के पिछले भाग में बार-बार उल्लेख किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध वह है जिसमें कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष होता है या वास्तव में शामिल होता है। तथ्य यह है कि अपराध की आय एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, जो संयोग से एक गैर-संज्ञेय अपराध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पर 2002 अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके अनुसूचित अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है, बल्कि केवल तभी चलाया जाता है जब उसने अनुसूचित अपराध से संबंधित या उसके संबंध में आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति अर्जित की हो और फिर अपराध की ऐसी आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त होता हो। इतना कहना ही काफी है कि विचाराधीन तर्क पूरी तरह से गलत है और खारिज करने की आवश्यकता है।

20. उच्च न्यायालय धारा 45 की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विचार करने और अपनी संतुष्टि दर्ज करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि क्या यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार मौजूद है कि प्रतिवादी कथित अपराध का दोषी नहीं था, और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी। केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज की गई थी और अदालत द्वारा संज्ञान लिया गया था, यह प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करने का आधार या विचार नहीं होगा, जब धारा 45 में परिकल्पित अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।
21. यह भी तय किया गया है कि धन शोधन का अपराध कोई साधारण अपराध नहीं है। पी. एम. एल. ए. को देशों की संप्रभुता और अखंडता सहित वित्तीय प्रणालियों पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव डालने वाले धन शोधन गतिविधियों के विषय से निपटने के लिए

अधिनियमित किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को दुनिया भर में अपराध के एक बड़े हुए गंभीर रूप में माना गया है और अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल अपराधियों को आम अपराधियों से अलग श्रेणी में माना जाता है। धनशोधन के अपराध में शामिल अपराधी की जमानत याचिका पर विचार करते समय और अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना और धारा 45 की कठोरता पर विचार किए बिना गुप्त आदेश पारित करके उसे जमानत देते समय अदालतों द्वारा किसी भी आकस्मिक या सरसरी दृष्टिकोण को सही नहीं ठहराया जा सकता है।

22. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पीएमएलए की धारा 45 के विपरीत है तथा स्थापित कानूनी स्थिति के भी विपरीत है, हमारी राय है कि आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए, और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में भेजे जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है, और मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया जाता है कि मामले को आक्षेपित आदेश पारित करने वाली पीठ के अलावा किसी अन्य पीठ के समक्ष रखें। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।
23. हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए अजीबोगरीब और पेचीदा स्थिति में उसे जारी रखा जाना चाहिए, हम उक्त निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को हमारे द्वारा अस्थिर और असमर्थनीय माना गया है, इसका प्रभाव जारी नहीं रखा जा सकता है। प्रतिवादी आज से एक सप्ताह के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा।
24. अपील को तदनुसार स्वीकृति दी जाती है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत।

हेडनोट्स निधि जैन द्वारा तैयार किए गए

* लेखक

¹ 2022 एससीसी ऑनलाइन 929

² (2015) 16 एससीसी 1

³ (2018) 11 एससीसी 46

⁴ (2023) एससीसी ऑनलाइन 1486

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।